# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
# पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 43 / 2020

## अनवान

1. श्री गोपाल पुत्र शोभालाल महाजन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री मनिष कुमार पुत्र श्री सागरमल बापना नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री राजकुमार पुत्र मदनलाल मुंदडा नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री सुरजमल पुत्र रामचन्द्र महाजन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्री राजकुमार पुत्र स्व0 श्री नाथुलाल महाजन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति विमला देवी पत्नि स्व. श्री नाथूलाल महाजन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति सरोज देवी पुत्री स्व. श्री नाथूलाल महाजन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. श्रीमति पुष्पलता स्व. श्री नाथूलाल महाजन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद पारिक नि. सर्वोदय मोहल्ला हमीरगढ।
2. श्री मुरली पुत्र रामेश्वर प्रसाद पारिक नि. सर्वोदय मोहल्ला हमीरगढ
3. श्री जगननाथ पुत्र पिथा माली नि. कविनगर हमीरगढ।
4. श्री देवीलाल जगदीश चन्द्र दर्जी नि.सर्वोदय मोहल्ला हमीरगढ।
5. श्री पवन कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र नि.सर्वोदय मोहल्ला हमीरगढ।
6. श्री राधाकिशन पुत्र बरदा दरोगा, नि. गर्ल्स स्कुल के पास हमीरगढ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**
**निर्णय दिनांक 19.11.2020**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 26.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढभू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 612 की आ.न. 1209 रकबा 0.3414है0, आ.न. 1218 रकबा 0.1276है0, आ.न. 1219 रकबा 0.0379 है0, आ.न. 1220 रकबा 0.1138 है0, आ.न. 1227 रकबा 0.2529 है0, आ.न. 1228 रकबा 0.2655 है0, आ.न. 1229 रकबा 0.5311 है0, कुल किता 07 रकबा 1.7702 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढभू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 612 की आ.न. 1209 रकबा 0.3414है0, आ.न. 1218 रकबा 0.1276है0, आ.न. 1219 रकबा 0.0379 है0, आ.न. 1220 रकबा 0.1138 है0, आ.न. 1227 रकबा 0.2529 है0, आ.न. 1228 रकबा 0.2655 है0, आ.न. 1229 रकबा 0.5311 है0, कुल किता 07 रकबा 1.7702 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी